

पं. जवाहरलाल नेहरू का योगदान कश्मीर के सन्दर्भ में

कमलेश दहीकर
सहायक प्रध्यापक
सरदार पटेल यूनिवर्सिटी बालाघाट
kamleshdahikar@gmail.com

प्राचीन काल में कश्मीर संस्कृत और बौद्ध शिक्षा का केन्द्र था किन्तु 14वीं शताब्दी में इस्लाम कश्मीर का प्रमुख धर्म बन गया। कश्मीरी पंडितों में ऋषि परम्परा और सूफी संप्रदाय साथ-साथ विकसित हुआ तथा वहां एक समन्वयवादी संस्कृति विकसित हुई। किन्तु क्षणिक स्वार्थ एवं गलत निर्णय ने स्वर्ग के समान धरा-धाम कश्मीर की खूबसूरती को बिगाड़ने का काम किया। कश्मीर में अव्यवस्था, अराजकता तथा अशांति का वातावरण कायम हो गया।

यह सर्वविदित है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा लार्ड माउन्टबेटेन के परस्पर विशेष संबंध थे, जो किसी भी भारतीय कांग्रेसी या मुस्लिम नेता के आपस में नहीं थे। पंडित नेहरू के प्रयासों से ही माउन्टबेटेन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया, जबकि जिन्ना ने माउन्टबेटेन को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल मानने से साफ इनकार कर दिया, जिसका माउन्टबेटेन को जीवन भर अफसोस भी रहा। माउन्टबेटेन 24 मार्च 1947 से 30 जून 1948 तक भारत में रहे। इन 15 महीनों में वह न केवल संवैधानिक प्रमुख रहे, बल्कि भारत की महत्वपूर्ण नीतियों का निर्णायक भी रहा। माउन्टबेटेन 24 मार्च 1947 से 30 जून 1948 तक भारत में रहे। इन 15 महीनों में वह न केवल संवैधानिक प्रमुख रहे, बल्कि भारत की महत्वपूर्ण नीतियों का निर्णायक भी रहे। वह भी पं. नेहरू को एक “शानदार”, “सर्वदा विश्वसनीय” “कल्पनाशील” तथा “सैद्धांतिक समाजवादी” मानते रहे।

कश्मीर के प्रश्न पर भी माउन्टबेटेन के विचारों को पं. नेहरू ने अत्याधिक महत्व दिया। पं. नेहरू के शेख अब्दुल्ला के साथ भी गहरे सम्बन्ध थे। शेख अब्दुल्ला के साथ भी गहरे सम्बन्ध थे। शेख अब्दुल्ला ने 1932 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. किया था। फिर वह श्रीनगर के एक हाईस्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए, परन्तु अनशासनहीनता के कारण स्कूल से हटा दिय गये। फिर वह कुछ समय तक ब्रिटिश सरकार से तालमेल बिठाने का प्रयत्न करते रहे। आखिर में उन्होंने 1932 ई. में ही कश्मीर की राजनीति में अपना भाग्य आजमाना चाहे और “मुस्लिम कॉन्फ्रेंस” स्थापित की, जो

केवल मुसलमानों के लिए थी। परन्तु 1939 ई. में इसके द्वारा अन्य पंथों, मजहबों के मानने वालों के लिए भी खोल दिए गए और इसका नाम "नेशनल कॉन्फ्रेंस" रख दिया तथा इसने पंडित नेहरू के प्रजा मंडल आंदोलन से अपने को जोड़ लिया। शेख अब्दुल्ला ने 1940 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पंडित नेहरू को बुलाया था। शेख अब्दुल्ला पं. नेहरू को भी धोखा देते रहे। बाद में भी नेहरू परिवार के साथ शेख अब्दुल्ला के परिवार की यही दोस्ती चलती रही। श्रीमती इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी और अब राहुल गाँधी की दोस्ती क्रमशः शेख अब्दुल्ला, फारुख अब्दुल्ला तथा वर्तमान में उमर अब्दुल्ला से चल रही है।

दुर्भाग्य से कश्मीर के महाराजा हरि सिंह (1925–1947) से न ही शेख अब्दुल्ला के और न ही पंडित नेहरू के सम्बन्ध अच्छे रह पाए। महाराजा कश्मीर शेख अब्दुल्ला की कुटिल चालों, स्वार्थी और अलगाववादी सोच तथा कश्मीर में हिन्दू विरोधी रवैये से परिचित थे। वे इससे भी परिचित थे कि 'क्विट कश्मीर आन्दोलन' के द्वारा शेख अब्दुल्ला महाराजा को हटाकर, स्वयं शासन संभालने को आतुर थे। जबकि पंडित नेहरू भारत के अंतरित प्रधानमंत्री बन गए थे, तब तक घटना ने इस कटुता को और बढ़ा दिया था। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्य प्रस्ताव था— महाराजा को कश्मीर से हटाने का। मजबूर होकर महाराजा ने पं. नेहरू से इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आने को कहा। पर नहीं मानने पर पं. नेहरू को जम्मू में ही श्रीनगर जाने से पूर्व रोक दिया गया। पं. नेहरू ने इसे अपना अपमान समझा तथा वे इसे जीवन भर नहीं भूले। पाकिस्तानी फौज व कबायली आक्रमण के समय राजा हरि सिंह को सबक सिखाने के उद्देश्य से नेहरू जी ने भारतीय सेना को भेजने में जानबूझ कर देरी की, जिससे कश्मीर के एक हिस्सा पर पाकिस्तान कब्जा करने में सफल रहा। इस घटना से शेख अब्दुल्ला को दोहरी प्रसन्नता हुई। इससे वह पं. नेहरू को प्रसन्न करने तथा महाराजा को कुपित करने में सफल हुआ।

पं. नेहरू का व्यक्तित्व यद्यपि राष्ट्रीय था, परन्तु कश्मीर का प्रश्न आते ही वे भावुक हो जाते थे। इसलिए जहाँ उन्होंने भारत में चौतरफा बिखरी 560 रियासतों के विलय का महान दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा, वहीं केवल कश्मीरी दस्तावेजों को अपने कब्जे में रखा। ऐसे कई उदाहरण हैं, जब वे कश्मीर के मामले में केन्द्रीय प्रशासन की भी सलाह सुनने को तैयार नहीं होते थे। तत्कालीन विदेश सचिव वाई.डी.गुणडेवीय का कथन

था, “आप प्रधानमंत्री से कश्मीर पर बात नहीं करें। कश्मीर का नाम सुनते ही वे अचेत हो जाते हैं।”

जिन्ना कश्मीर तथा हैदराबाद पर पाकिस्तान का अधिपत्य चाहते थे। उन्होंने अपने सैन्य सचिव को तीन बार महाराजा कश्मीर से मिलने के लिए भेजा। तत्कालीन कश्मीर के प्रधानमंत्री काक ने भी उनसे मिलाने का वायदा किया था। पर महाराजा ने बार-बार बीमारी का बहाना बनाकर बातचीत को टाल दिया। जिन्ना ने गर्मियों की छुट्टी कश्मीर में बिताने की इजाजत चाही थी। परन्तु महाराजा ने विनम्रतापूर्वक इस आग्रह को टालते हुए कहा था कि वह एक पड़ोसी देश के गवर्नर जनरल को ठहराने की औपचारिकता पूरी नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर शेख अब्दुल्ला गद्दी हथियाने तथा इसे एक मुस्लिम प्रदेश (देश) बनाने को आतुर थे। शायद वे कश्मीर का विलय पाकिस्तान में करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने मेहरचंद महाजन से कहा था कि “भौगोलिक स्थिति” को देखते हुए कश्मीर को पाकिस्तान का भाग बनना उचित है।

पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली भयंकर भूल तब की, जब षड्यंत्रों से बात नहीं बनी तो पाकिस्तान ने बल प्रयोग द्वारा कश्मीर को हथियाने की कोशिश की तथा 22 अक्टूबर 1947 ई. को सेना के साथ कबाइलियों ने मुजफ्फराबाद की ओर कूच किया। लेकिन कश्मीर के नए प्रधानमंत्री मेहरचंद्र महाजन के बार-बार सहायता के अनुरोध पर भी भारत सरकार उदासीन रही। भारत सरकार के गुप्तचर विभाग ने भी इस संदर्भ में कोई पूर्व जानकारी नहीं दी। कश्मीर के ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह ने बिना वर्दी के 250 जवानों के साथ पाकिस्तान की सेना को रोकने की कोशिश की तथा वे सभी वीरगति को प्राप्त हुए। आखिर 24 अक्टूबर को माउन्टबेटैन ने “सुरक्षा कमिटी” की बैठक की, परन्तु बैठक में महाराजा को किसी भी प्रकार की सहायता देने का निर्णय नहीं किया गया। 26 अक्टूबर को पुनः कमिटी की बैठक हुई। अध्यक्ष माउन्टबेटैन अब भी महाराजा के हस्ताक्षर सहित विलय प्राप्त नहीं होने तक किसी भी प्रकार के सहायता के पक्ष में नहीं थे। आखिरकार 26 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सचिव वी.पी. मेनन को महाराजा के हस्ताक्षर युक्त विलय दस्तावेज लाने को कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वयं वापसी में वी.पी. मेनन से मिलने हवाई अड्डे पहुंचे। विलय पत्र मिलने के बाद 27 अक्टूबर को हवाई जहाज द्वारा श्रीनगर में भारतीय सेना भेजी गई।

जवाहरलाल नेहरू नें दूसरी भूल तब की, जब भारत की विजय-वाहिनी सेनाएं कबाइलियों को खदेड़ रही थी। सात नवम्बर को बारहमूला कबाइलियों से खाली करा लिया गया था। तब पं. नेहरू ने शेख अब्दुल्ला की सलाह पर तुरन्त युद्ध विराम कर दिया। परिणामस्वरूप कश्मीर का एक तिहाई भाग, जिसमें मुजफ्फराबाद, पुंछ, मीरपुर गिलगित आदि क्षेत्र आते हैं, पाकिस्तान के पास रह गए, जो आज भी "आजाद कश्मीर" के नाम से पुकारे जाते हैं।

जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी भयंकर भूल तब किया जब माउन्टबेटन की सलाह पर पं. नेहरू 01 जनवरी 1948 ई. को कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में ले गए। संभवतः इसके द्वारा वे विश्व के सामने अपनी ईमानदार छवि का प्रदर्शन तथा विश्वव्यापी प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते थे। पर यह प्रश्न विश्व-पंचायत में युद्ध का मुद्दा बन गया।

चौथी भयंकर भूल पं. नेहरू ने तब की जब देश के अनेक नेताओं के विरोध के बाद भी शेख अब्दुल्ला की सलाह पर भारतीय संविधान में धारा 370 जोड़ी गई। न्यायाधी डी.डी. बसु ने इस धारा को असंवैधानिक तथा राजनीति से प्रेरित बतलाया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इसका विरोध किया तथा स्वयं इस धारा को जोड़ने से मना कर दिया। इस पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रियासत राज्यमंत्री गोपाल स्वामी आयंगर द्वारा 17 अक्टूबर 1949 ई. को यह प्रस्ताव रखवाया। इसमें कश्मीर के लिए अलग संविधान को स्वीकृति दी गई। जिसमें भारत का कोई भी कानून यहां की विधानसभा द्वारा पारित होने तक लागू नहीं होगा। दूसरे शब्दों में दो संविधान दो प्रधान तथा दो निशान को मान्यता दी गई। कश्मीर जाने के लिए परमिट की अनिवार्यता की गई। शेख अब्दुल्ला कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। वस्तुतः इस धारा को जोड़ने से बढ़कर दूसरी कोई भयंकर गलती हो ही नहीं सकती थी।

जवाहरलाल नेहरू ने पांचवी भयंकर भूल शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का "प्रधानमंत्री" बनाकर की। उसी काल में देश के महान राजनेता डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दो विधान, दो प्रधान, दो निशान के विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन किया। वे परमिट व्यवस्था को तोड़कर श्रीनगर गए जहां जेल में उनकी हत्या कर दी गई। पं. जवाहरलाल नेहरू को अपनी गलती का अहसास हुआ, तब तक बहुत ही देर हो चुका था। शेख अब्दुल्ला को कारागार

में डाल दिया गया लेकिन पं. नेहरू ने अपनी मृत्यु से पूर्व अप्रैल 1964 ई. में उन्हें पुनः रिहा कर दिया।

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि कश्मीर समस्या पंडित जवाहर लाल नेहरू के गलत निर्णयों का दुष्परिणाम है। पंडित नेहरू के कारण ही आज भी कश्मीर सहित देश के अन्यान्य क्षेत्र आतंकवाद के आग की लपटों में झुलस रहा है। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे निर्णय क्षमता वाले व्यक्तित्व की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

सन्दर्भ :

1. कश्मीर हिस्ट्री एण्ड पॉलिटिक्स, जी.ए.वानी. पृ. 230, 235, 240 एवं 251.
2. रिलीजन, सोसायटी एण्ड रिफार्म्स, बशीर अहमद खॉ, पृ. 152, 154 तथा 160.
3. डॉक्टर ऑफ विट्सात्सा, ले.पी.एन. बाजार पृ. 219,220.
4. कल्हण, राजतरंगिरी, 3/27, 3/57, 3/88, 3/78.
5. कल्प राय एण्ड पॉलिटिक्स, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ले.पी.के. बामेजार,